न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास–दिनेश कुमार यादव,आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 31 / 2019

प्रार्थी	बनाम	**अप्रार्थी**
बाबुलाल पुत्र जसराज ब्राहम्ण निवासी गोगेलाव तहसील व जिला नागौर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश सैन।
2. अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

आदेश दिनांक–17-02-2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर नागौर के न्यायालय में लम्बित राजस्व प्रार्थना संख्या **213/2019 तहसीलदार नागौर बनाम बाबुलाल** अन्तर्गत धारा 177 आर.टी. एक्ट प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी के विरूद्व सहायक कलक्टर नागौर में एक अनवान धारा 177 आर.टी. एक्ट का विचाराधीन है प्रकरण में तहसीलदार नागौर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट में यह अंकन किया कि दिनांक 24.04.2019 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नागौर एवं श्रीमान तहसीलदार नागौर के निर्देश की अनुपालना में वाके मौजा गोगेलाव पटवार मण्डल गोगेलाव तहसील जिला नागौर के खसरा नम्बर **356/736** रकबा 0.03 बीघा किस्म भूमि बाराणी के मौके पर पहुंचा इत्यादि अंकन कर मौका रिपोर्ट तैयार कर उसी मौका रिपोर्ट को आधार पर माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर के समक्ष प्रार्थी के विरूद्व 177 आर.टी. एक्ट का आवेदन पेश किया है। जो झूठे तथ्यों एवं अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना में रिपोर्ट तैयार की गई है ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार उक्त प्रकरण को माननीय न्यायालय एस.डी.ओ. नागौर को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार जिस अधिकारी के आदेश की पालना में जो प्रकरण दर्ज किये गये हैं वही प्रकरण को सुनने का अधिकारी उस उच्चाधिकारी को नहीं होने का कथन करते हुए प्रकरण **संख्या 213/2019 न्यायालय** सहायक कलक्टर नागौर से स्थानान्तरित कर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु भिजवाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अप्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया प्रार्थी के विरूद्व धारा 177 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नागौर द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर एल.आर.एक्ट की धारा 51 व 52 के तहत राजस्व अधिकारी (भूमि अधिकारी) होने के नाते राज्यहित की सुरक्षा दायित्व निभाते हुए राजस्व हानि की संभावना में तहसीलदार/पटवारी को जॉच के आदेश दिया जाना न्यायोचित है। इसलिए फर्द मौका रिपोर्ट में वर्णित तथ्य विधि सम्मत है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार आर. टी.एक्ट की धारा 217 के अन्तर्गत आर.टी.एक्ट की धारा 177 के तहत सुनवाई का अधिकार सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर को है। दोनों पद भिन्न है एवं पदीय कर्तव्य भी भिन्न है। प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय तथा प्रोफेशनल Ethic की भी पूर्ण पालना की गई है। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण को लम्बा

कलक्टर, नागौर

चलाने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो सारहीन होने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी का कथन कि उपखण्ड अधिकारी नागौर एवं तहसीलदार नागौर के निर्देशों के आधार पर तैयार मौका रिपोर्ट के आधार तहसीलदार नागौर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उपखण्ड अधिकारी नागौर को ऐसे प्रकरण में सुनवाई का अधिकार नहीं है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि उपखण्ड अधिकारी राजस्व अधिकारी के साथ साथ राजस्व न्यायालय में सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट की हैसियत से भी कार्य करते है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व अधिकारी की हैसियत में तहसीलदार को अपने हल्के राजस्व भूमि के उपयोग उपभोग में किसी अनियमिता की जॉच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिये जा सकते है। ऐसे में केवल उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व अधिकारी की हैसियत से तहसीलदार को अपने हल्के राजस्व भूमि के उपयोग उपभोग में किसी अनियमिता की जॉच कर कार्यवाही करने के संबंध में दिये गये निर्देशों के कम में तहसीलदार द्वारा विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण में सुनवाई के क्षैत्राधिकार के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे में उक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट विधि की प्रकिया अन्तर्गत ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जाये।

आदेश सुनाया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 13:42:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: